

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग


क्रमांक : प.8(6)गृह-12/कारा/2014

जयपुर, दिनांक : 13 OCT 2016

:: आदेश ::

राज्य सरकार द्वारा कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम-9, सन् 1894) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं राजस्थान बंदी के लिए खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गोविन्द गौशाला सींथल (बेलासर), बीकानेर को 20 बंदी क्षमता के प्रयोजनार्थ अस्थाई "खुले हवा शिविर" घोषित किया जाता है।


आज्ञा से,


(के.के. शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को पत्रांक सामान्य/05/2013/30332 दिनांक 01.09.16 के क्रम में।
2. सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर।
3. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, बीकानेर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
5. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचना की दो प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर।
7. अध्यक्ष, श्री गोविन्द गौशाला सींथल (बेलासर), बीकानेर।
8. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव